न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26/2021 दायर दिनांकः 26/07/2021

उनवान

1. धन्नी बाई आयु 74 वर्ष पत्नि रामगोपाल जाति धाकड निवासी बामला वालों की गली मंडोला जिला बारा (राज०)।
2. चंद्रा बाई आयु 55 वर्ष पुत्री रामगोपाल पत्नि जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासी धाकड पाडा, मंदिर के पास राजपुरा बारां जिला बारां राज0।
3. चौथमल आयु 51 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड़ निवासी वार्ड नं. 7 मंडोला जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।

आदेश दिनाकः 27/01/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 58 का ख0नं0 451 का रकबा 1.54 है0 आराजी भूमि स्थित चली आ रही है। जो प्रार्थीगण के पति व पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने फौती इंतकाल दर्ज करते समय त्रुटिवश प्रार्थिया क्रम 1 धन्नी बाई पत्नि रामगोपाल के स्थान पर धन्नी बाई उर्फ भूली बाई पत्नि रामगोपाल कर दिया तथा प्रार्थिया क्रम 2 चंदा बाई पुत्री रामगोपाल के स्थान पर चन्द्र बाई उर्फ भूली बाई पुत्री रामगोपाल कर दिया एवं इसी तरह से प्रार्थी क्रम 3 चौथमल पुत्र रामगोपाल के पिता का नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपाल कर दिया। त्रुटिवश दर्ज हुए नाम का न्याय हित में दुरूस्त होना अति आवश्यक है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया क्रम 1 का तमाम प्रमाण पत्र आधारकार्ड, राशन कार्ड, सभी दस्तावेजात में धन्नी बाई पत्नि रामगोपाल ही दर्ज है तथा प्रार्थिया क्रम 2 का तमाम प्रमाण पत्र आधारकार्ड, राशन कार्ड, सभी दस्तावेजात में चन्द्रा बाई ही दर्ज है एवं प्रार्थी क्रम 3 का व उसके पिता का नाम तमाम प्रमाण पत्र आधारकार्ड, राशन कार्ड, सभी दस्तावेजात में चौथमल पुत्र रामगोपाल ही दर्ज है। उक्त

दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है। बैंकिंग कार्यो, कृषि ऋण, कृषि योजनाओं आदि के लिए भी प्रार्थीगण को कई प्रकार की परेशानियों का समना करना पडता है। जिससे प्रार्थीगण को कई प्रकार की असुविधाएं होती है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय एवं हल्का पटवारी महोदय के समक्ष भी नाम दुरूस्ती के लिए निवेदन किया जिस पर उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हुतु निर्देशित किया। इस हेतु माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नकल जमाबन्दी ग्राम जिरोद के खाता संख्या 58 के ख0नं0 451 का रकबा 1.54 है0 आराजी पर प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त कर धन्नी बाई उर्फ भूली बाई पत्नि रामगोपाल के स्थान पर धन्नी बाई पत्नि रामगोपाल दर्ज किया जाए एवं चन्द्र बाई उर्फ भूली बाई पुत्री रामगोपाल के स्थान पर चंदा बाई पुत्री रामगोपाल तथा चौथमल पुत्र गोपाल के स्थान पर चौथमल पुत्र रामगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित कम सं. 1 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जीरोद खाता संख्या 58 ख0नं0 451 है0 वर्तमान में वादीगण के नाम खाते दर्ज है। उक्त खाते में कंचनबाई बैवा मांगीलाल के फोत होने से नामान्तरण संख्या 549 स्वीकृत दिनांक 05.02.2015 से विरासत का नामांतरकरण अमल दरामद होते समय चौथमल पुत्र रामगोपाल, धन्नीबाई उर्फ भूलीबाई पुत्री रामगोपाल दर्ज हो गया। कंचनबाई का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

कंचनबाई बेवा मांगीलाल
↓
पुत्र रामगोपाल (फौत)
↓

चौथमल (पुत्र)	चन्द्राबाई (पुत्री)	धन्नीबाई उर्फ भूली बाई (बैवा)

उक्त सजरा अनुसार एवं इंतकाल के आधार पर यह स्पष्ट है कि रामगोपाल तथा गोपाल एक ही व्यक्ति है एवं भूलीबाई, धन्नीबाई का ही एक प्रचलित नाम है। वाद पत्र में वर्णित क्र.सं 3 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी यह है कि जांच एंव पारिवारिक सजरा अनुसार हिस्सा एवं खाता निम्न प्रकार होना उचित है–

1. चौथमल पुत्र गोपाल + चौथमल पुत्र रामगोपाल हिस्सा (1/4 + 1/6) कुल हिस्सा 5/12 चौथमल पुत्र रामगोपाल।
2. चन्द्राबाई पुत्री रामगोपाल हिस्सा 1/6
3. धन्नीबाई उर्फ भूलीबाई पत्नि रामगोपाल हिस्सा 1/6 + भूलीबाई पत्नि स्व0 गोपाल हिस्सा 1/4 कुल हिस्सा 5/12 धन्नीबाई उर्फ भूलीबाई पत्नि स्व0 रामगोपाल।
4. मद संख्या 4 में वर्णित कथन कानूनी है।
5. मद संख्या 5 में वर्णित कथन कानूनी है।
6. मद संख्या 6 में वर्णित कथन कानूनी है।

साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw 3** का शपथ पत्र पेश किये तथा बयान लेखबद्ध किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम जिरोद के खाता संख्या 58 के ख0नं0 451 का रकबा 1.54 है0 में प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त कर धन्नी बाई उर्फ भूली बाई पत्नि रामगोपाल के स्थान पर धन्नी बाई पत्नि रामगोपाल दर्ज किया जावे एवं चन्द्र बाई उर्फ भूली बाई पुत्री रामगोपाल के स्थान पर चंद्रा बाई पुत्री रामगोपाल तथा चौथमल पुत्र गोपाल के स्थान पर चौथमल पुत्र रामगोपाल दर्ज किये जावे।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया संवत 2073–2076 की जमाबन्दी ग्राम जिरोद के खाता संख्या 58 के ख0नं0 451 का रकबा 1.54 है0 में प्रार्थीगण का नाम चन्द्रबाई उर्फ भूलीबाई पुत्री रामगोपाल हिस्सा 1/6, चोथमल पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/6, चोथमल पुत्र गोपाल हिस्सा 1/4, धन्नीबाई उर्फ भूलीबाई पत्नि स्व0 रामगोपाल हिस्सा 1/6, भूलीबाई पत्नि गोपाल हिस्सा 1/4 दर्ज है। प्राथी क्रम 1 धन्नीबाई पत्नि रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड,

शपथ पत्र व साक्ष्य अनुसार सही नाम धन्नी बाई है, इसी प्रकार प्रार्थी कम 2 चन्द्रा बाई द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र व साक्ष्य अनुसार गांव मे चन्द्र बाई व भूली बाई के नाम से जाना जाता है जिसका वास्तविक नाम चंद्रा बाई है। प्रार्थी कम 3 चौथमल द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, शपथ पत्र , साक्ष्य अनुसार इसका सही नाम चौथमल पुत्र राम गोपाल है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम जिरोद के खाता संख्या 58 के ख0नं0 451 का रकबा 1.54 है0 में सहखातेदार जमाबंदी संवत 2073—76 अनुसार कम 1 चन्द्रबाई उर्फ भूली बाई पुत्री रामगोपाल के स्थान पर चंद्रा बाई पुत्री रामगोपाल, कम संख्या 3 पर चोथमल पुत्र गोपाल के स्थान पर चोथमल पुत्र रामगोपाल, कम संख्या 5 पर धन्नीबाई उर्फ भूली बाई पत्नि स्व0 गोपाल के स्थान पर धन्नीबाई उर्फ भूली बाई पत्नि स्व0 रामगोपाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां